रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012021-224696
CG-DL-E-27012021-224696

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 25, 2021/माघ 5, 1942
No. 37] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 25, 2021/MAGHA 5, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 46(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 45 (अ), तारीख 19 जनवरी, 2018 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र (एनसीआर) राज्यों में चूना भट्टियों में पेट कोक की बिक्री तथा उपयोग को अधिसूचित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के उपाबंध के रूप में संलग्न की गई सूची में उल्लिखित औद्योगिक इकाइयों को ही केवल पेट कोक की बिक्री की जाती है और उक्त सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन से किया जा सकेगा;

और राजस्थान राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उपरोक्त उल्लिखित अधिसूचना के उपाबंध में और 4 चूना भट्टी को जोड़ने और 5 चूना भट्टी के ब्यौरों में संशोधन करने का अनुमोदन किया है।

अत: अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में और निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् : -

उक्त अधिसूचना के, उपाबंध में, -

(i) क्रम सं. 32, 66, 294, 332 और 343 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात्:-

"32	मैसर्स सिगमा मिनरल्स लि.	के. नं. 800, 801, 798 और 797, 801/1, 801/2, खेजरला, तहसील- बिलारा, जिला जोधपुर, राजस्थान	2	1800	3600	360''
"66	मैसर्स श्री बालाजी लाईम प्रोडक्ट्स	के. नं. -982, गांव ताडावास, खिनवसर, जिला नागौर, राजस्थान	2	1800	3500	240''
"294	एस.आर. मिनरल्स एंड केमिकल्स	खसरा नं.: 72/12, गांव और पोस्ट: बोरुंडा, तहसील बिलारा, जिला-जोधपुर, राजस्थान	3	1800	3700	360''
"332	मैसर्स साहिल बंसल	के. नं. -117, गांव श्यामनगर माउंडा, तहसील, नीम का थाना, जिला- सीकर, राजस्थान	1	600	1350	120''
"343	मारवार केमिकल एंड ऐलाइड प्रोडक्ट्स	खसरा नं.: 720/01, रनसीगांव, तहसील- बिलारा, जिला जोधपुर, राजस्थान	4	3000	6667	600''

(ii) क्रम सं. 440 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् : -

''441	मैसर्स श्री सनवालिया लाईम उद्योग	के. नं. -969/433, गांव-ताडावास, तहसील-खिनवसर, जिला नागौर राजस्थान	1	900	1800	240
442	मैसर्स शिव केमिकल्स	के. नं.- 1100, गांव भवांडा, तहसील-खिनवसर, जिला नागौर, राजस्थान	2	1800	3600	360
443	मैसर्स गोकुल डोलोलाइम स्टोन	गांव-बापी, तहसील और जिला.- दौसा, राजस्थान	5	3000	6000	600
444	मैसर्स राजेश मिनरल्स एंड कॉन्ट्रेक्टर	के. सं.-2886, पुडुंलू, तहसील मर्टा, जिला नागौर, राजस्थान	2	1250	2500	250''

[फा. सं. क्यू-16017/04/2018-सीपीए (पार्ट)]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

IndiaCode

टिप्पण : मूल अधिसूचना सा.का.नि. सं. 45(अ), तारीख 19 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात इसमें अधिसूचना सा.का.नि. सं. 495(अ), तारीख 25 मई, 2018, सा.का.नि. 397 (अ), तारीख 31 मई, 2019, सा.का.नि. 906 (अ), तारीख 12 दिसम्बर, 2019 और सा.का. नि. 113 (अ) दिनांक 14 फरवरी, 2020 और सा.का. नि. 714 (अ) तारीख 13 नवम्बर, 2020 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2021

G.S.R. 46(E).—Whereas, sale and use of pet coke in lime kilns in the National Capital Region (NCR) States was notified *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number G.S.R. 45(E), dated the 19th January, 2018, wherein sale of pet coke are made only to the industrial units mentioned in the list annexed to the said notification as Annexure and any change in the said list shall be made on the recommendation of the concerned State Government and with the approval of the Central Pollution Control Board;

And whereas, on the recommendation of the State Government of Rajasthan, the Central Pollution Control Board has approved further addition of 4 lime kilns and amendment in the details of 5 lime kilns in the Annexure of the notification mentioned above.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendments in the aforesaid notification, namely:-

In the said notification, in the Annexure, -

(i) for serial numbers 32, 66, 294, 332 and 343 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: -

"32	M/s Sigma Minerals Ltd.	K. No. 800, 801, 798 & 797, 801/1, 801/2, Khejarla, Tehsil-Bilara, Distt-Jodhpur, Rajasthan	2	1800	3600	360"
"66	M/s Shree Balaji Lime Products	K. No.-982, Village-Tadawas, Khinvsar, Distt-Nagaur, Rajasthan	2	1800	3500	240"
"294	S. R. Minerals and Chemicals	Khasra No.: 72/12, Village and Post: Borunda, Tehsil: Bilara, Distt: Jodhpur, Rajasthan	3	1800	3700	360"
"332	M/s Sahil Bansal	K. No.-117, Village-Shyamnagar Maounda, Tehsil-Neem Ka Thana, Distt-Sikar, Rajasthan	1	600	1350	120"
"343	Marwar Chemical & Allied Products	Khasra No.: 720/01, Ransigaon, Tehsil: Bilara, Distt: Jodhpur, Rajasthan	4	3000	6667	600"

(ii) after serial number 440 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be added, namely:-

"441	M/s Shri Sanwaliya Lime Udyog	K. No.- 969/433, Village-Tadaws, Tehsil-Khinvsar, Dist.-Nagaur, Rajasthan	1	900	1800	240

IndiaCode

442	M/s Shiv Chemicals	K. No.-1100, Village-Bhawanda, Tehsil- Khinvsar, Dist.- Nagaur, Rajasthan	2	1800	3600	360
443	M/s Gokul Dololime Stone	Village-Bapi, Tehsil & Distt.-Dausa, Rajasthan	5	3000	6000	600
444	M/s Rajesh Minerals & Contactor	K. No.-2886, Pundlu, Tehsil-Merta, Distt.-Nagaur, Rajasthan	2	1250	2500	250”

[F. No. Q-16017/04/2018-CPA(pt.)]

NARESH PAL GANGWAR, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published *vide* number G.S.R. 45(E), dated the 19th January, 2018 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 495(E), dated the 25th May, 2018, G.S.R. 397(E), dated the 31st May, 2019, G.S.R. 906(E), dated the 12th December, 2019, G.S.R. 113(E), dated the 14th February, 2020 and G.S.R. 714(E), dated the 13th November, 2020.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.01.27 14:52:36 +05'30'